न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 235 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/251)
पंजीयन दिनांक– 14.06.2021
निर्णय दिनांक– 06.09.2021

1. श्रीमती अणछाई बाई पत्नि स्व. श्री रूपगर गुसाई, निवासी पीपलखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री कैलाशगिरी पुत्र स्व. श्री रूपगर गुसाई, निवासी पीपलखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री शिवगिरी पुत्र स्व. श्री रूपगर गुसाई, निवासी पीपलखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती केसर बाई पुत्री हेमगर गुसाई, निवासी रोलिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री शंकरगर पुत्र हेमगर गुसाई, निवासी पीपलखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती सोहन बाई पुत्री हेमगर गुसाई, निवासी पीपलखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती लक्ष्मी बाई पुत्री हेमगर गुसाई, निवासी पीपलखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्रीमती दाखी बाई पुत्री हेमगर गुसाई, निवासी पीपलखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
6. ग्राम पंचायत करूंकडा, तहसील कपासन जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत करूंकडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
7. भूमिधारी तहसीलदार, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री बी. एल. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री संजय बोहरा / श्री नारायणलाल जाट – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन के
प्रकरण संख्या 03/2017 निर्णय दिनांक 19.03.2021
एवं संशोधित निर्णय दिनांक 30.04.2021

निर्णय

दिनांक 06.09.2021

अपीलांट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन के प्रकरण संख्या 03/2017 निर्णय दिनांक 19.03.2021 के विरूद्ध दिनांक 14.06.2021 को कोविड–2019 के कारण जारी दिशा–निर्देशों के तहत अपील अंदर मयाद मानी जाने के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 01 दिनांक 13.04.1996 ग्राम पंचायत करूंकडा अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत करूंकडा द्वारा हेमगिरी के फौत होने के एक वर्ष पश्चात मुझे बिना सुने ही शंकरगर व रूपगर से मिलीभगत कर अपने हक से वंचित करने के उद्देश्य से वर्णित नामांतरण अपने नाम पर स्वीकृत करा लिया। ग्राम पंचायत ने जानबूझ कर गलत नामांतरण खोला है। जबकि दिनांक 08.04.1996 की पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खातेदार हेमगर की मृत्यु हो चुकी है जिसके जायंदा लडके रूपगर व शंकरगर मौजूद थे एवं चार जायंदा पुत्रियां है। बावजूद इसके दिनांक 13.04.1996 को यह नोट अंकित करते हुए चारों पुत्रियां केसर, सोहनी, दाखी एवं लक्ष्मी है जो वयस्क होकर शादीशुदा है तथा ससुराल में रहती है व ससुराल में हक प्राप्त कर लिया है इसी आधार पर नामांतरण रूपगर व शंकरगर पिता हेमगर एवं नोजी बाई बेवा हेमगर के नाम खोला गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 03/2017 निर्णय दिनांक 19.03.2021 से रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाने

से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.03.2021 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 30.04.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी, की गयी बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है व अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय लिया जाता है कि ग्राम पंचायत करूंकडा द्वारा पारित आदेश (बाबत इंतकाल संख्या 01 दिनांक 13.04.1996 को) को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर मृतक नोजी बाई के वारिसान की जांच कर सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर नामांतरण खोलने की कार्यवाही करे।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानलाल पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की श्री संजय बोहरा/ श्री नारायणलाल जाट उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 7 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 26.08.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि विवादित नामांतरण आदेश दिनांक 13.04.1996 से व्यथित प्रथम अपील रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत की गई यानि 21 वर्ष पश्चात प्रथम दृष्टया ही अपील निरस्त कराये जाने योग्य है, उक्त नामांतरण केवल मात्र विरासत से खोला गया है खातेदार हेमगर पिता उदयगर गुसाई की मृत्यु होना एक वर्ष हो चुका है जिसके जायंदा वारिस इसके पुत्र रूपगर, शंकरगर तथा नोजी बाई बेवा हेमगर तथा चार पुत्रियां सर्व

श्रीमती केसर, सोहनी, दाखी एवं लक्ष्मी है, जो वयस्क होकर शादीशुदा तथा अपने ससुराल रहती है व ससुराल से हक प्राप्त कर लिया है। उक्त नामांतरण की कार्यवाही समस्त अपेक्षित जांच पूर्ण करने के पश्चात विवादित नामांतरण मृतक के लडके रूपगर, शंकरगर व उसकी बेवा नोजी बाई के नाम विरासत से खाता रद्दोबदल करने की स्वीकृति दी गई है, इसमें कोई अपेक्षित जांच तथा निहित प्रक्रिया शेष नही रहती है। प्रथम अपील 21 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई जिसमें हुई देरी बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम मे कारण उल्लेख किया है वो किसी भी अवस्था में माने जाने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय में "वकील रेस्पोडेंट ने निवेदन किया कि अपीलांट ससुराल में रहती है तथा उसका कब्जा नही है व इंतकाल खुले काफी समय हो गया है, अतः धारा 5 मया अधिनियम पोषणीय नही है यदि अपीलांट को विवादित आराजीयात की खातेदारी चाहिए तो खातेदारी का वाद प्रस्तुत करें व अंत में अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।" इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों, कानून एवं न्याय की मंशा को भलिभांती उसका निष्कर्ष नहीं निकाल कर उसकी उपेक्षा कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो निरसत फरमाये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः R. B. J. (17) 2010 Page 289, RRD 2012 Page 641, 2019 RBJ Page 253, 2009 (1) RRT Page 432 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि संपति पैतृक होने व ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल विधि विरूद्ध पारित किया जाने से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 01 दिनांक 13.04.1996 ग्राम पंचायत करूंकडा अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन ने अपने प्रकरण संख्या 03/2017 निर्णय दिनांक 19.03.2021 एवं संधोधित निर्णय दिनांक 30.04.2021 से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन ने अपने प्रकरण संख्या 03/2017 निर्णय दिनांक 19.03.2021 एवं संधोधित निर्णय दिनांक 30.04.2021 से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 26.08.2021 को बहस सुनने के बाद अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.09.2021 को एक आवेदन अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत पेश करते हुए निवेदन किया कि मौजूदा पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी कपासन में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 189 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ है जिसमें प्रश्नगत नामान्तकरण के यथास्थिति बनाये रखा जाना उचित होगा। विधिक स्थिति इस प्रकार है कि बहस सुनने के बाद किसी प्रकार का कोई आवेदन रेकर्ड पर नहीं लिया जा सकता एवं यह आवेदन विधि के व्यक्त प्रावधान आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के स्थान पर धारा 151 जा.दी. के तहत पेश किया गया एवं आवेदन के साथ जो वाद–पत्र की प्रति लगायी है, वह भी अप्रमाणित है, अतएवं यह आवेदन जो कि बहस के बाद विधि के सुव्यक्त प्रावधानों के पृथक जाकर अप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ पेश किया गया है, वह खारिज किया जाता है।

प्रकरण में अब हम अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये अपील मेमों एवं बहस में वर्णित उजरात का विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट द्वारा सर्वप्रथम यह उज्र लिया गया है कि विवादित नामान्तकरण संख्या 01 आदेश दिनांक 13.04.1996 से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गयी है जो कि 21 वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत की गयी है। नामान्तकरण की कार्यवाही में समस्त अपेक्षित जांच कार्यवाही पूर्ण

करने के पश्चात् विवादित नामान्तकरण मृतक के लड़के रूपगर, शंकरगर एवं उसकी बेवा नोजीबाई के नाम विरासत से खाता रद्दोबदल की स्वीकार दी गयी है एवं इसमें कोई अपेक्षित जांच तथा निहित प्रक्रिया शेष नहीं रहती है। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व विवादित नामान्तकरण का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत में विवादित नामान्तरण खोलते समय जो पटवारी की रिपोर्ट है, उसमें स्पष्ट वर्णित है कि मृतक हेमगर को फौत हुए करीब एक वर्ष हो चुका है इसके जाइन्दा वारीस इसके पुत्र रूपगर, शंकरगर तथा बेवा नोजीबाई है तथा चार पुत्रियां केसर, सोहनी, दाखी व लक्ष्मी है जो वयस्क होकर शादीशुदा है व ससुराल में रहती है। इस नामान्तकरण जो कि वर्ष 1996 में स्वीकृत है, अनुसार यह सुस्पष्ट है कि मृतक हेमगर के दो पुत्र व बेवा के साथ उसकी 4 पुत्रियां जिनमें से रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 भी एक पुत्री है, यह एक स्वीकृत स्थिति है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 वर्ष 1956 से लागू है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार किसी भी हिन्दू के मृतक होने पर उसके पुत्र, पुत्री एवं बेवा का हक होता है। इस नामान्तकरण में जो कि अपीलाधीन है, उसमें स्पष्ट रूप से पुत्रियां होना लिखित है एवं स्वीकृत भी है। उसमें पुत्रियों को वंचित किया जाना स्पष्ट है जो स्पष्टतः धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का उल्लंघन है। आश्चर्यजनक रूप से पटवारी द्वारा जो टिप्पणी की गयी है एवं पुत्रियों को हेमगर की जायदाद से इस आधार पर वंचित किया गया है कि वे शादीशुदा होकर ससुराल में रहती है एवं पंचायत ने इन्हीं तथ्यों को मानते हुए नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया है। विधि का सुव्यक्त प्रावधान है कि कोई भी विधि विरूद्ध आदेश में कोई मियाद लागू नहीं होती एवं यहां महिला अधिकारों को लेकर विधि के सुव्यक्त प्रावधानों के विपरीत जाकर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुव्यक्त रूप से वर्णित करते हुए मियाद कण्डोन की है। अधीनस्थ न्यायालय एवं यहां पर हमारे पास भी ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अपीलाण्ट को उक्त नामान्तकरण की निर्णय की पूर्व से जानकारी हो। अपीलाण्ट द्वारा इस बाबत् न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (17) 2010 पेज 289 प्रस्तुत की है जिसमें यह वर्णित किया गया है

कि जहां पर उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं बताये गये हो, वहां मियाद निरस्त नहीं की जानी चाहिये। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में दिये गये कारण उचित है एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 को विवादित नामान्तकरण की पूर्व जानकारी होना स्पष्ट एवं प्रमाणित नहीं है एवं पंचायत का नामान्तकरण विधि विरूद्ध है, अतएवं ऐसे विधि विरूद्ध मामलों में मियाद गौण होती है। अपीलाण्ट द्वारा मियाद पर एक अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 2012 पेज 641 प्रस्तुत की है जिसमें मियाद कण्डोन किये जाने के बाबत् वर्णित किया गया है एवं स्पष्टतः मियाद कण्डोन नहीं किये जाने का आधार यह वर्णित किया गया है कि आदेश विधि विरूद्ध नहीं था। यहा पर आदेश प्रथम दृष्टया हिन्दू उत्तराधिकार विधि के विरूद्ध है अतएवं यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती। अपीलाण्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.बी.जे. 2019 पेज 253 प्रस्तुत की जिसमें यह व्यक्त किया गया है कि नामान्तकरण एक सरसरी कार्यवाही एवं विधि प्रक्रिया से संबंधित है। यह नजीर व्याप्क रूप से हमारे विनम्र रूप से पूर्णतया सही है परन्तु जहां पर विधिक उत्तराधिकारी को उसके हकों से नामान्तकरण पर पुत्रियों की स्वीकृति होने के बाद वंचित किया जा रहा हो, ऐसे प्रकरणों में ऐसे नामान्तकरण जो प्रारम्भतः विधिविरूद्ध हो, उसमें यह नजीर चस्पा नहीं होती है। अपीलाण्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर 2009(1) आर.आर.टी. पेज 432 प्रस्तुत की, जिसमें मियाद को गलत आधारों में वर्णन करने पर स्वीकार नहीं किया जाना वर्णित किया गया है। इस प्रकरण में मियाद में कोई गलत तथ्य प्रकट किये गये हो, ऐसे तथ्य प्रकट नहीं आते। अतएवं यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती। अपीलाण्ट ने इस प्रकरण में मूलतः पुत्रियों के उत्तराधिकार के नामान्तकरण में उनकी जानकारी होने के बावजूद उन्हें वंचित करने में मियाद का अधीनस्थ न्यायालय में जो क्षमन करने का आदेश दिया है, उस पर ही अपना महत्वपूर्ण ध्यान दिया है एवं मियाद पर जैसाकि हमारे द्वारा उपर वर्णित किया जा चुका है, इस प्रकरण में ग्राम पंचायत का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण मियाद गौण है क्योंकि यह स्थापित उत्तराधिकार कानून के विरूद्ध बावजूद जानकारी पंचायत द्वारा किया गया निर्णय है। अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि विवादित भूमि

पर अपीलाण्ट अर्थात् मृतक हेमगर के भाई काश्त कर रहे हैं यानि कब्जा उनका है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विरासत के मामलों में कब्जा गौण होता है एवं सभी उत्तराधिकारियों का कब्जा माना जाता है। समग्र रूप से हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपने अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत के निर्णय को अपास्त करने को सक्षम होता है, उन्होंने इस प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने का निर्णय किया है, जिसमें समस्त वारीसान की जांच कर उन्हें सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया जा सकें, जो अत्यन्त पारदर्शी एवं तथ्यपरक निर्णय है। हम अपीलाण्ट द्वारा पेश की गयी अपील के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर